राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/139/2021/814 दिनांकः– 12-02-2021

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 15/2021 दिनांक 29.01.2021 की पालना में निगम के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विधवा/विधुर को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा पास की सुविधा प्रदान की जाती है। इस क्रम में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. यह सुविधा केवल निगम के सेवारत व सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों की विधवा/विधुर को ही देय होगी। सेवापृथक (Terminated) एवं पदच्युत (Dismissed) कर्मचारियों की विधवा/विधुर इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
2. इस आदेश के जारी होने से पूर्व के सेवारत व सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों की विधवा/विधुर को प्रथम बार उसी इकाई से यह सुविधा प्रदान की जावेगी जिस इकाई में मृतक कर्मचारी ने अन्तिम सेवा की हो या उसके विधवा/विधुर द्वारा वर्तमान में पेन्शन प्राप्त की जा रही हो।
3. निःशुल्क यात्रा की सुविधा निगम की वाहनें जहाँ तक संचालित होती हैं, वहाँ तक के लिये देय होगी।
4. कर्मचारी की मृत्यु के समय देय यात्रा पास सुविधा के अनुसार यह सुविधा प्रदान की जावेगी।
5. विधवा/विधुर द्वारा निगम कोष में 15.00 रूपये जमा कराने के पश्चात् ही 5 (पॉच) निःशुल्क एकल यात्रा पास जारी किये जावेंगे।
6. विधवा/विधुर को निःशुल्क यात्रा पास पुस्तिका (पॉच कूपन) व परिचय पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित इकाई प्रभारी द्वारा उनकी पात्रता की जॉच किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।
7. वर्ष के अन्त में निःशुल्क यात्रा पास के काउन्टर फोईल/अप्रयुक्त पास जमा कराने के पश्चात् ही नई यात्रा पास पुस्तिका व परिचय पत्र जारी/नवीनीकरण किया जावेगा।
8. प्रथम बार यह सुविधा प्राप्त करने के पश्चात् यदि कोई विधवा/विधुर अन्य इकाई से यह सुविधा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस आशय का आवेदन इकाई प्रभारी के माध्यम से मुख्यालय की वित्त–नियम शाखा को प्रस्तुत करना होगा। नियम शाखा से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उसे वांछित इकाई से परिचय पत्र एवं निःशुल्क यात्रा पास प्राप्त हो सकेगा।

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/139/2021/814 दिनांकः– 12-02-2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0..।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(वीना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार